भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3819
(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत कार्य दिवसों में वृद्धि

3819. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन-ग्रामीण के लिए गारंटी (वीबी-जी राम जी) के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार सृजित करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में महिला स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ होने के परिणामस्वरूप, यह योजना दिनांक 01.07.2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के स्थान पर, वीबी-जी राम जी, प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है, को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। यह नई योजना दादरा और नगर हवेली

संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01.07.2026 से सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है और इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए 9.02 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 5(4) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकती हैं।

यह अधिनियम स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन तथा अधिनियम की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अनुमेय कार्यों – अर्थात जल संबंधी कार्य, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और प्रतिकूल मौसम से होने वाली घटनाओं को कम करने हेतु विशेष कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने का भी लक्ष्य रखता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करना और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

(ग): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को पूंजीकरण सहायता (परिक्रामी निधि/आरएफ, सामुदायिक निवेश निधि/सीआईएफ) के रूप में तथा मिशन के अन्य कार्यकलापों हेतु आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए निधियां आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त, निधियों के उपयोग तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आकलित आवश्यकताओं के आधार पर, मिशन के वार्षिक समग्र बजटीय प्रावधान की सीमा के भीतर उन्हें अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाता है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को आरंभ से अब तक प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता का विवरण 31 जुलाई, 2026 तक 980.71 लाख रुपये है। वर्ष 2025-26 एवं वर्ष 2026-27 के दौरान, दिनांक 31.07.2026 तक, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को जारी की गई निधियां निम्नानुसार है:-

एनआरएलएम - आवंटन एवं जारी (राशि रुपये लाखों में)		
वित्तीय वर्ष	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय निर्गमन
2025-26	700	350
2026-27	700	175